(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2665–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–06–2014 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण कमांक 5(1)/2014–15/1989.

———

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमि0
सेहतगंज जिला रायसेन, मध्यप्रदेश,

————— अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर
2– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल
3– सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रायसेन
4– जिला आबकारी अधिकारी, शाजापुर
5– जिला आबकारी अधिकारी सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड सेहतगंज, जिला रायसेन

————— रिस्पाण्डेन्टस्

———

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – अपीलार्थी ।
श्री अनिल श्रीवास्तव, अभिभाषक –रिस्पा0 ।

———

:: आदेश ::

(दिनांक 08 जनवरी 2016 को पारित)

यह अपील मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील, रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा कमांक 5(1)/2009–10/840 दिनांक 26–03–2009 से अपीलार्थी को देवास जिला क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की

अनुमति वर्ष 2009–10 के लिये प्रदान की गई। उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता भोपाल ने दिनांक 6–8–09 को गैरतगंज के मद्य भण्डार गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मसाला मदिरा के 50 पाव एवं प्लेन मदिरा के 15 पाव पर कटे हुये होलोग्राम लगे मिले तथा संग्रहित मदिरा में 250 मसाला मदिरा के पाव एवं 735 प्लेन मदिरा के पाव बिना लेवल लगे हुये मिले। इस मदिरा परेषण भराई उपरांत प्रदाता संविदाकार द्वारा रायसेन मद्य भण्डार गृह से गैरतगंज मद्य भण्डार गृह को भेजा गया था। कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी रायसेन के कर्मचारियों द्वारा रायसेन, ओबेदुल्लागंज एवं बरेली की देशी मदिरा दुकानों का निरीक्षण करने पर बिना लेवल लगी हुई एवं कटे हुए होलोग्राम– युक्त मदिरा दुकानों पर पाई गई। मद्य भण्डार गृह रायसेन से बिना लेबल लगी हुई एवं कटे हुये होलोग्राम – युक्त मदिरा गैरतगंज मद्य भण्डार गृह एवं संबंधित दुकानों की प्रदाय की गई थी। इस प्रकार की अनियमितताओं के आधार पर आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर ने अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र कमांक 2/(ब)/वि.जां./09/608 दिनांक 14–09–2009 जारी किया गया। अपीलार्थी ने बचाव में लेखी उत्तर दिनांक 28–09–2009 प्रस्तुत किया। आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर ने अपीलार्थी के उत्तर का परीक्षण कर आदेश कमांक 5(1)/2014–15/1989 दिनांक 16–06–2014 पारित किया तथा अपीलार्थी द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत बने नियमों, टेण्डर तथा लायसेंस की शर्तो के उल्लॅघन करने से मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 12(1) के अंतर्गत 50,000/– रू. शास्ति अधिरोपित कर दंडित किया। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया की मद्य भण्डागार के लिये मदिरा सप्लाय होने के बाद बंद बोतलों की मदिरा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भण्डागार में रखी जाती है तथा इस प्रकिया के पूर्ण होने पर मद्य भण्डागार अधिकारी द्वारा शील साइन किये जाने के पश्चात् ही मद्य भण्डागार से निकासी की जाती है। यह सभी प्रकियायें शासकीय अधिकारी द्वारा की जाती है, इसमें आसवक का हस्तक्षेप नहीं है। होलोग्राम की लंबाई अधिक होने के कारण होलोग्राम आपस में उलझ जाने के कारण खिच जाने से टूट सकते है। बेयर हाउस में कटे हुये होलाग्रम लगने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि होलोग्राम एवं पंजी मद्य भण्डागार अधिकारी के अधीन दिशा निर्देशों से लगाये एवं रखे जाते है। शीलबंद बोतलों पर लगाये गये लेबल पानी पड़ जाने से अथवा गीले हो जाने के कारण छूटने की संभावना रहती है, परन्तु आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने आदेश दिनांक 16–06–2014 पारित करते समय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर भलीभांति विचार नहीं किया है। उन्होंने अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

4/ प्रत्यर्थी के अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि देशी मदिरा दुकानों का निरीक्षण करने पर बिना लेबल लगी हुई एवं कटे हुये होलोग्राम–युक्त मदिरा दुकानों पर पाई गई। अपीलार्थी को इस संबंध में कारण बताओ सूचना–पत्र भी दिया गया था तथा जबाव प्रस्तुत होने के पश्चात् पूर्ण विचार उपरांत आबकारी आयुक्त ने अपीलार्थी पर न्यूनतम दंड लगाया है जो उचित है। उन्होंने आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के आदेश दिनांक 16–06–2014 को यथावत् रखने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आबकारी आयुक्त के

समक्ष प्रस्तुत उत्तर दिनांक 28–09–2009 के पृष्ठ–2 में अपीलार्थी ने निम्नवत् स्वीकारोक्ति दी है –

"श्रीमान जी को पूर्ण विश्वास दिलाते हुये कि भविष्य में उपरोक्तानुसार मद्य भण्डागार रायसेन से भरी हुई बंद बोतलों की मदिरा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही अण्डरबाण्ड कर प्रदाय की जायेगी ।"

उपरोक्त का आशय यही है कि निरीक्षण के दौरान उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता भोपाल को गैरतगंज के मद्य भण्डार गृह में मसाला मदिरा के 50 पाव एवं प्लेन मदिरा के 15 पाव पर कटे हुये होलोग्राम तथा संग्रहीत मदिरा में 250 मसाला मदिरा के पाव एवं 735 प्लेन मदिरा के पाव बिना लेबिल लगे मिले हैं। इसी प्रकार जिला आबकारी अधिकारी रायसेन के कर्मचारियों द्वारा रायसेन ओबेदुल्लागंज एवं बरेली की देशी मदिरा दुकानों का निरीक्षण करने पर बिना लेबल लगी हुई एवं कटे हुये होलोग्राम– युक्त मदिरा दुकानों पर पाई गई है। म0प्र0 देशी स्पिरिट नियम 1995 की धारा 12 के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त अनुज्ञाप्तिधारी पर म0प्र0 आबकारी अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आबकारी आयुक्त के किसी आदेश के अंग या उल्लंघन के लिए 50,000/– रू. से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकता है। अतः आबकारी आयुक्त, द्वारा जारी आदेश कमांक 5(1)/2014–15/1989 दिनांक 16–06–2014 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं दिखाई देती।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)/2014–15/1989 में पारित आदेश दिनांक 16–06–2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल ,मध्यप्रदेश
ग्वालियर